बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03/भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(रोहतास)–05/2025.1880.... पटना, दिनांक :– 08/06/2026

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 04 दिनांक 01.01.2026 द्वारा श्री हिमांशु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10750) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि बंदोबस्त कार्यालय द्वारा श्री कुमार को शिविर कार्यालय, काराकाट में पदस्थापित किया गया था, परन्तु इनके द्वारा अपने आवंटित शिविर में योगदान नहीं किया गया है, जिसके आलोक में कारण पृच्छा करने पर स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए कार्य करने/योगदान स्वीकृति संबंधी किये गये अनुरोध के आलोक में योगदान स्वीकृति की अनुमति दी गयी थी। साथ ही प्रतिवेदित किया गया योगदान के पश्चात् इन्हें पुनः शिविर आवंटित किया गया, परन्तु आवंटित शिविर से भी अनाधिकृत अनुपस्थित हैं, जिस संदर्भ में किए स्पष्टीकरण पर पुनः स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख किया गया है। फलस्वरूप अनाधिकृत अनुपस्थित, कार्यो के प्रति रूचि नहीं रहने के आलोक में संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 1020 दिनांक 24.03.2026 द्वारा श्री कुमार से 07 दिनों के अन्दर इस शर्त्त के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी कि निर्धारित अवधि तक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संविदा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा। इतने स्पष्ट निदेश के बावजूद 02 माह व्यतीत होने के बाद भी इनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया है। श्री कुमार पूर्व में भी अनाधिकृत अनुपस्थित रहे है, जिसके आलोक में इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इन्हें एक अवसर प्रदान किया गया था। पुनः ये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं एवं निदेशालय द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जो इनके मनमानेपन, आदेशोल्लंघन का परिचायक है। उपरोक्त वस्तुस्थिति से ज्ञात होता है कि ये अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के आदि है एवं अपने दायित्वों के प्रति सजग नहीं हैं।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं, इसके बावजूद अवसर दिए जाने के बाद भी श्री कुमार द्वारा शिविर में योगदान नहीं दिया जा रहा है एवं अनाधिकृत अनुपस्थित रह रहे हैं। यदि इन्हें संविदा में बने रहने का पुनः अवसर दिया जाता है, तो इसका प्रभाव अन्य विशेष सर्वेक्षण कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना ही उचित होगा।

अतः बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत श्री हिमांशु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10750), बंदोबस्त कार्यालय, रोहतास का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

05/06/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(रोहतास)–05 / 2025 1880 **पटना, दिनांक** :– 08/06/2026

प्रतिलिपि :– श्री हिमांशु कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN10750), बंदोबस्त कार्यालय, रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक 08/06/26

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(रोहतास)–05 / 2025 1880 **पटना, दिनांक** :– 08/06/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 08/06/26

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03 / भू0अ0नि0(4)सं0आरोप(रोहतास)–05 / 2025 1880 **पटना, दिनांक** :– 08/06/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 08/06/26

भू–अभिलेख एवं परिमाप